भारत सरकार
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
नीति एवं योजना प्रभाग
"एनडीएमए भवन", ए–1, सफदरजंग एनक्लेव,
नई दिल्ली – 110029.

सं० 1–29/2020–पीपी | दिनांक : 1 मई, 2020

आदेश

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 6(2)(i) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 24 मार्च, 2020 और 14 अप्रैल, 2020 को भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र (यूटी) सरकारों और क्षेत्र प्राधिकरणों निर्देश किया कि सामाजिक दूरियां सुनिश्चित करने के लिए उपाय शुरू करें, ताकि देश में कोविड–19 के प्रसार को रोका जा सके। ये उपाय 25 मार्च, 2020 से शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (एनईसी) द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 10(2)(1) के तहत समय–सयम पर विस्तृत दिशानिर्देश, आदेश, स्पष्टीकरण और परिशिष्ट जारी किए गए।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कोविड–19 के प्रसार को रोकने के लिए देश में एक और अवधि के लिए लाल (रेड जोन), नारंगी (ओरेंज जोन) और हरे (ग्रीन जोन) क्षेत्रों में जिलों के वर्गीकरण के आधार पर कड़े लॉकडाउन उपायों को लागू करने की आवश्यकता है, आर्थिक गतिविधियों को कुछ बुनियादी सुरक्षा के साथ लोगों के बीच दूरी (फिजिकल डिस्टेंसिंग) रखने के मानदंडों का पालन करते हुए चालू किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 6(2)(1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य/केंद्र शासित क्षेत्र (यूटी) सरकारें और राज्य/केंद्र शासित प्राधिकरणों को 4 मई, 2020 से दो और सप्ताहों के लिए लॉकडाउन उपायों को जारी रखने का निर्देश देता है। प्राधिकरण एनईसी को निर्देश देता है कि आर्थिक गतिविधियों को चालू करते समय, कोविड–19 के प्रसार को रोकने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, आवश्यकतानुसार दिशानिर्देशों में संशोधन जारी करें।

सदस्य सचिव, एनडीएमए

सेवा में :–
केंदीय गृह सचिव,
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली–110001